GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(61) Forest/2012

Jaipur, dated: 02-12-2014

ORDER

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8B/Raj/08/18/2012/FC/1049 dated 08.10.2014 for the project proponent Executive Engineer, Public Health and Engineering Department for diversion of 4.798 ha. (Bhilwara – 1.350 ha., Chittorgarh- 3.448 ha.) forest area and Re-diversion of 3.60 ha. pre-reversion forest area for purpose of laying Drinking Water Pipe line under Chambal-Bhilwara Water Supply Project, Bhilwara. The State Government hereby accords Approval of Final stage clearance under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance date 08.10.2014 will be complied by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

Sd/-
(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhavan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, J.L.N Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Kota, Udaipur and Ajmer.
8. Deputy Conservator of Forest, Kota, Chittorgarh and Ajmer.
9. Executive Engineer, Public Health and Engineering Department.
10. Guard File

Secretary

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8 बी/राज0/08/18/2012/एफ.सी. 1049

दिनॉक : 08.10.2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर

विषय : चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 (जनपद भीलवाड़ा– 1.350 हे0, चित्तौरगढ़ जनपद– 3.448 हे0) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 हे0 पूर्व में जनपद भीलवाड़ा में एन0एच0ए0आई0 के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का रि–डाईवर्जन बाबत।

सन्दर्भः अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी राजस्थान का पत्रांक एफ 14( )2011/वसु/प्रमुवसं/3983, दिनॉकः 02.05.2014 एवं एफ 14( )2011/वसु/प्रमुवसं/7655, दिनॉकः 26.09.2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार,सजस्थान का पत्रांक प01(61)वन/2012, दिनॉकः 03.10.2012 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.01.2014 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 (जनपद भीलवाड़ा– 1.350 हे0, चित्तौरगढ़ जनपद– 3.448 हे0) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 हे0 पूर्व में जनपद भीलवाड़ा में एन0एच0ए0आई0 के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का रि–डाईवर्जन एवं 1794 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.798 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 4.798 गैर वन भूमि का आबंटन वन विभाग, राजस्थान के पक्ष में हो चुका है। इसे आरक्षित वन भूमि के रूप में छः माह में अधिसूचित किया जाएगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पडें स्थानों पर यथोचित् वृक्षारापेण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

4. अगर माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि उच्च स्तर से बढोत्तरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

359

9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

10. मलवा निस्तारण (यदि कोई) वन विभाग की देख–रेख में किया जाएगा।

11. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

12. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी परियोजना की लागत का 05 प्रतिशत धनराशि को अभ्यरण क्षेत्र के बेहत रख–रखाव के लिए खर्च किया जाएगा।

13. Atleast two water points will be constructed, in forest block Peermagra in consultation with DCF (Wildlife) Kota by user agency, to provide drinking water to wild animals. The regular water supply for purpose will be made by user agency free of cost 24 hours.

14. The State Govt. will ensure that water would be used for the bona-fide domestic use of the people, and will not be put to any commercial use.

15. As far as possible, the route alignment through forest areas should not have any deviation. Route of digital map should be followed.

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद चित्तौरगड़ के अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार ग्राम सभा की proceeding इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अधिसूचना जारी की जाएगी।

17. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, भीलवाड़ा, राजस्थान।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा, राजस्थान।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, चम्बल भीलवाड़ा परियोजना, खण्ड–प्रथम, भीलवाड़ा, राजस्थान।
6. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के0)

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–0522–2326696

दिनॉक: 29.01.2014

पत्र सं0 8 बी/राज0/08/18/2012/एफ.सी. /1556

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 (भीलवाड़ा वन मण्डल की 1.350 हे0 नवीन वनभूमि तथा 3.60 हे0 पूर्व में एन0एच0ए0आई0 के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का रि–डाईवर्जन) वन भूमि का प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ :शासन सचिव, राजस्थान सरकार,राजस्थान का पत्रांक प01(61)वन/2012, दिनॉक: 03.10.2012

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन {संरक्षण} अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 25.10.2013 द्वारा प्रस्ताव में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (समसंख्यक पत्र दिनांक– 23.04.2013 द्वारा प्रदत्त) को निरस्त किया गया था। तदोपरान्त प्रस्ताव को वन विभाग, जयपुर में दिनांक– 19.12.2013 आहूत की गयी राज्य सलाहाकार समूह की बैठक में में सम्मिलित करने के उपरान्त मंत्रालय निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। मंत्रालय के आदेशानुसार मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 (भीलवाड़ा वन मण्डल की 1.350 हे0 नवीन वनभूमि तथा 3.60 हे0 पूर्व में एन0एच0ए0आई0 के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का रि–डाईवर्जन) वन भूमि का प्रत्यावर्तन 1794 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.798 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इसे छः माह में आरक्षित/संरिक्षत वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

3. NPV as applicable shall be paid for 4.95 ha. but 5 times for the area 3.448 ha. of Jawahar Sagar Wildlife Sanctuary by the user agency.

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना की लागत का 05 प्रतिशत धनराशि अभ्यरण क्षेत्र के बेहत रख–रखाव के लिए जमा की जाएगी।

5. Atleast two water points will be constructed, in forest block Peermagra in consultation with DCF (Wildlife) Kota by user agency, to provide drinking water to wild animals. The regular water supply for purpose will be made by user agency free of cost 24 hours.

6. The State Govt. will ensure that water would be used for the bona-fide domestic use of the people, and will not be put to any commercial use.

7. As far as possible, the route alignment through forest areas should not have any line deviation.

8. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे

272

(8)

जमा की जाएगी।

9. मलवा निस्तारण का कार्य वन विभाग द्वारा स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती (रसीद) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित की जाए एवं मद्वार जमा की गयी धनराशि का विवरण (एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमैन्ट ऐरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशियों का विवरण) तथा जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम, शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत की जाएगी तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

11. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक– 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन [redacted] को विशेष डाटा (.shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं प्रस्तावित वृक्षों के पातन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

भवदीय,

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, भीलवाड़ा, राजस्थान।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा, राजस्थान।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, चम्बल भीलवाड़ा परियोजना, खण्ड–प्रथम, भीलवाड़ा, राजस्थान।
6. आदेश पत्रावली ।

28/11/2019

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक {केन्द्रीय}